ग्रामीण महिला विकास संस्थान

GMVS

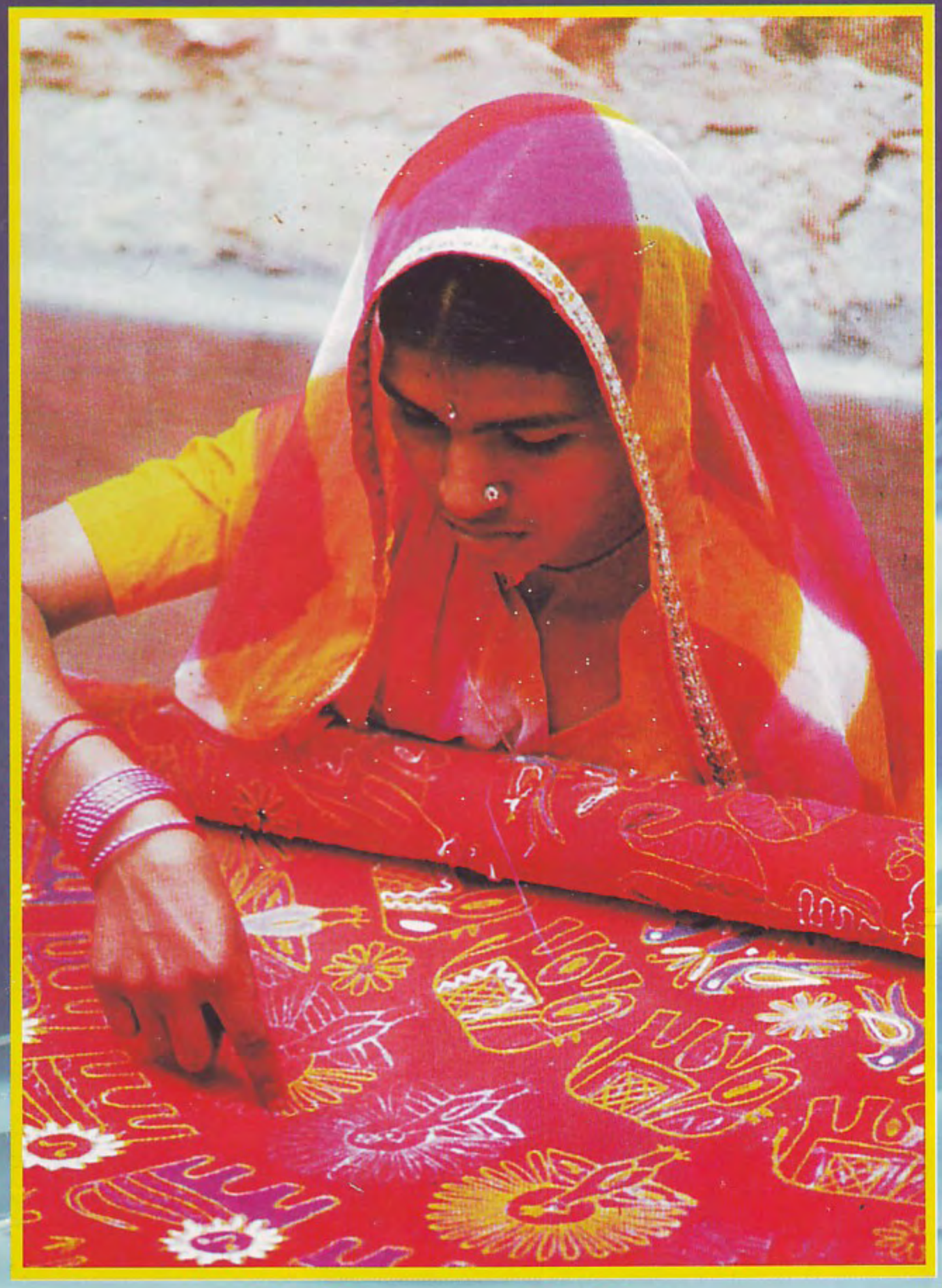

वार्षिक प्रतिवेदन
2009-10

विकास की कतिपय झलकियाँ

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आऊटलेट का उदघाटन समारोह पर सम्बोधित करते हुए भाजपा युवा नेता श्री भँवर सिंह पलाडा एवं सुधीर शर्मा, डीडीएम नाबार्ड, अजमेर।

स्वयं सहायता समूह द्वारा बड़ौदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक किशनगढ़ से ऋण प्राप्त करते हुए।

अजमेर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, अजमेर के फिल्ड अधिकारी श्री राजेन्द्र जी द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करते हुए।

राजस्थान इनिसिटीव फ्लोराइड मिटीगेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए।

अकाल राहत कार्यक्रम में चारा डिपो का उदघाटन करते हुए बूबानी सरपंच श्री गोपाल महाराज।

समूहों का आमुखिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेती हुई महिलायें।

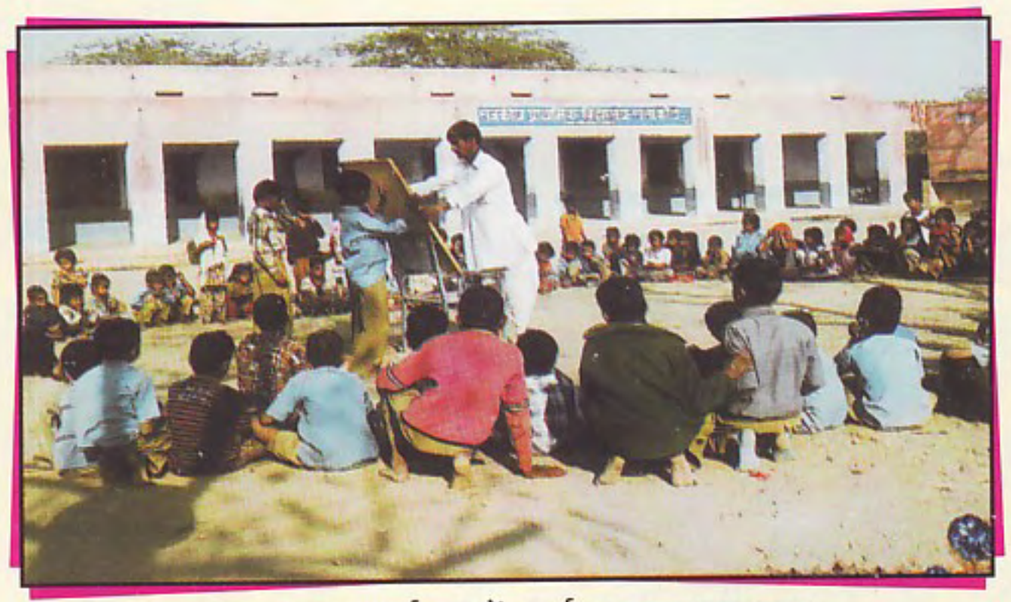

पुस्तकालय कार्यक्रम में कार्यक्रम सहायक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करते हुए।

आभार

किसी भी देश और समाज का सच्चा धन वहाँ के स्वस्थ एवं प्रसन्न स्त्री-पुरुषों में निहित है। समुदाय की स्वस्थ संरचना स्त्री-पुरुषों के समान व्यवहारों पर निर्भर है। वर्तमान सन्दर्भ में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से सशक्त करना आवश्यक है। विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के साक्षरता में वृद्धि, बाल मृत्यु दर में कमी, ग़रीबी में कमी तथा बेकारी का निवारण अनिवार्य है। इस हेतु चेतना जागृति, शिक्षण व प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम, रोज़गार व अन्य आर्थिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसमें ग़ैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी विशेष महत्त्वपूर्ण बन जाती है। अतः विकास के लक्ष्य पूरे करना ग़ैर सरकारी संगठनों के लिए जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही महत्त्वपूर्ण यह देखना है कि शासन की व्यवस्था अधिक लोकानिमुख बने।

संस्था द्वारा अजमेर ज़िले की चार पंचायत समितियों- श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय व केकड़ी के 135 ग्रामों में समग्र विकास के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं उन्हें यह वार्षिक प्रतिवेदन दर्शाता है।

संस्था को सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं का आर्थिक, व्यैक्तिक सहयोग एवं मार्ग-दर्शन मिला, उसके लिए संस्था उनकी सदैव आभारी रहेगी।

संस्था के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत व लगन के कारण ही संस्था प्रभावी कार्य कर सकी।

(शंकर सिंह रावत)
सचिव

(अनिल कुमार माथुर)
अध्यक्ष

ग्रामीण महिला विकास संस्थान - बूबानी, अजमेर (राज.)

प्रगति रिपोर्ट : वर्ष 2009-2010

पृष्ठभूमि

ग्रामीण महिला विकास संस्थान मानव समाज विषयक उद्देश्य विशेष के लिए गठित स्वैच्छिक संगठन है, जो वृहद् स्तर पर ग्रामीण समुदाय के साथ उनके सामाजिक सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए कार्य कर रही है। संस्था विविध और व्यापक स्तर पर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दे आदि पर 1997 से कार्यक्रम संचालित कर रहा है। वर्तमान में संस्था अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय और केकडी पंचायत समिति के 135 गांवों में कार्यरत है।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान, राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 की धारा 28 के तहत एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-ए व 80-जी के तहत तथा एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976 के अधीन पंजीकृत है।

विज़न

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, रोज़गार के विकल्प उपलब्ध करना।

मिशन

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हेतु विद्यालयों का निर्माण, टीकाकरण व स्वास्थ्य जानकारी द्वारा बेहतर स्वास्थ्य, पौधारोपण के प्रति जागरुकता व देखभाव व पर्यावरण संरक्षण करना।

संस्था के उद्देश्य

- समस्याग्रस्त गाँवों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने में ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करते हुए अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने में मदद करना।
- महिला विकास व सशक्तिकरण में ग्रामीण महिलाओं की रुचि पैदा करना तथा महिला उत्थान कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं स्वास्थ्य निराकरण के लिए महिला गोष्ठियों का आयोजन करना।
- कृषि एवं पशुपालन के लिए ग्रामीणों को आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक पैदावार एवं बेहतर पशुपालन में उनकी समस्याओं को कम करने में मदद करना।
- पर्यावरण संरक्षण करने के लिए पेड़ पौधों के महत्त्व पर जागरुकता प्रदान करना।।

- मृदा संरक्षण के उपायों की ग्रामीणों को जानकारी देना व नई-नई तकनीकों का प्रयोग करना।
- महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों की जागरुकता हेतु बैठकों का आयोजन करना।
- बेहतर शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- ग्रामीण दस्तकारी को बढ़ावा देने में सहयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार अवसर पैदा करने हेतु खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार ऋण प्राप्त करवाना।

शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित बाल श्रमिक परियोजना संस्था, अजमेर के मार्ग दर्शन में संचालित बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है।

अजमेर ज़िले के श्रीनगर, सिलोरा पंचायत समिति के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। अत: अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबे के अलावा किशनगढ़ एवं आस-पास क्षेत्र में संचालित पावरलूम, ईंट भट्टा और खानों में पत्थर तुड़ाई व मार्बल उद्योग में काम करने भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें इन उद्योगों से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक हो जाता है।

अत: संस्था ऐसे बच्चों को वहां से हटाकर इन विशिष्ट बाल श्रम विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी उम्र एवं स्तर के अनुसार आगामी 3 वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराते हुए आगामी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रही है।

शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने हुनर का विकास कर सकें।

बाल श्रम कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. बच्चे राष्ट्र की मूल्यवान धरोहर, उनका अधिकार शिक्षा प्राप्ति है न कि आजीविका कमाना।
2. बाल श्रम समस्या, देश के समक्ष कठिन चुनौती।
3. देश में वयस्क बेरोज़गारों की संख्या एवं कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या लगभग समान।
4. बाल श्रम के परिणाम स्वरूप वयस्क बेरोज़गारी, अशिक्षा और निर्धनता का घातक दुष्चक्र, राष्ट्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव।

5. अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा दांव पर, उत्पादों के निर्यात में कठिनाई।
6. बाल श्रम के बुरे नतीजों के प्रति माता-पिता की अज्ञानता।
7. संविधान एवं श्रम कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य करने पर रोक।

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव

संस्थान द्वारा इन बच्चों को विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय में 3 वर्षों तक अध्ययन करवाकर आगामी वर्ष में इन बच्चों के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान देकर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है। साथ ही इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना स्टाफ द्वारा निरन्तर फॉलो-अप किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क कर उसकी प्रगति को अवगत कराना एवं छात्र-छात्रा की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापकों की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया व कराया जाता है।

संस्थान द्वारा 12 जून, 2006 से संचालित 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन कर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

वर्तमान में शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े गये बच्चों का विवरण

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	बालक	बालिका	योग	SC			ST			OBC			General		
					B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	23	27	50	2	2	4	–	–	–	21	25	46	–	–	–
2.	नौलखा	35	15	50	1	2	3	2	1	3	32	12	44	–	–	–
3.	गेगल	14	36	50	–	1	1	–	–	–	3	8	11	11	27	38
4.	किशनगढ़	24	26	50	4	4	8	–	–	–	5	10	15	15	12	27
	योग	**96**	**104**	**200**	**7**	**9**	**16**	**2**	**1**	**3**	**61**	**55**	**116**	**26**	**39**	**65**

संस्थान द्वारा शिक्षा के साथ-साथ निम्न गतिविधियाँ भी सम्पादित कराई जाती हैं-

1. व्यावसायिक शिक्षा
2. स्वास्थ्य परीक्षण
3. मासिक अभिभावक बैठकें
4. नियमित निरीक्षण
5. मासिक मूल्यांकन
6. प्रतिदिन पोषाहार
7. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव
8. स्टाइफण्ड

9. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियों का आयोजन
10. खेलकूद
11. बाल श्रम विरोधी रैलियां

1.व्यावसायिक शिक्षा

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वरोज़गार के प्रति जागरुक कर प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से मुख्यत: सिलाई, कढ़ाई, कुर्सी बुनाई, चारपाई, मिट्टी एवं लकड़ी के खिलौने, चाबी के छल्ले, बांस की टोकरियां, पंक्चर बनाना, ऊनी धागों से बारन माल, स्वेटर, टोपी आदि का रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे बच्चे बड़े होने पर अपनी आजीविका अपनाते हुए अपने जीवन में सक्षम बन सकें।

2.स्वास्थ्य परीक्षण

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से नज़दीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र **ANM** या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके तहत बच्चों का वज़न, ऊँचाई, ख़ून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन ए का घोल तथा दवाइयाँ देकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

3.मासिक अभिभावक बैठकें

विद्यालय प्रांगण में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में शिक्षा के साथ-साथ गाँव की अन्य समस्याओं पर भी बातचीत करना व सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना तथा बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से रोकने का प्रयास कर उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी कराया जाता है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर ज़ोर देना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं।

4.नियमित निरीक्षण

विद्यालयों का समय-समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफ़िसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति, सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ-साथ अन्य पंचायत समिति स्तर एवं ज़िला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं अध्यापकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

5.मासिक मूल्यांकन

बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर बच्चों का हर माह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के प्रति कमज़ोरी पकड़ कर उन्हें उच्च शिक्षा के स्तर में बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही **TLM** सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवाकर छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा

की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है।

6.प्रतिदिन पोषाहार

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिदिन राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पोषाहार में दूध बिस्किट दिया जाता है। यह क्रम साप्ताहिक चलता है। विद्यालयों को मिड-डे मील योजना से भी जोड़कर बच्चों को साप्ताहिक मैन्यू के आधार पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है।

7.जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव

संस्थान द्वारा जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाया गया। इसमें 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही इन बच्चों के माता-पिता का भारतीय जीवन बीमा अन्तर्गत समूह बीमा करवाया गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी सुरक्षित हैं।

8.स्टाइफण्ड

अध्ययनरत बाल श्रमिक विद्यालय के बच्चों के लिए परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 100 रुपये वज़ीफ़ा (स्टाइफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में उन बच्चों के नाम खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता मिलेगी।

9.राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ

बाल श्रमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ महापुरुषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इनके माध्यम से महापुरुषों के जीवन में आई कठिनाइयों के बावजूद उनकी सफलताओं से बच्चों को अवगत कराते हुए उनसे प्रेरणा लेकर उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है।

10. खेलकूद

विद्यालयों में समय-समय पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों को चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, रुमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। इनके साथ-साथ प्रतिवर्ष बाल सप्ताह कार्यक्रम विद्यालय में मनाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को संस्थान द्वारा उचित इनाम दिया जाता है।

11. रैलियाँ

बाल श्रमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों द्वारा ग्राम में समय-समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली निकाली जाती हैं, जिसमें संस्थान व विद्यालय स्टाफ तथा ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है।

12. बाल श्रम के प्रति संस्थान की भूमिका

संस्थान का मुख्य उद्देश्य बालकों के हक़ के लिए संघर्ष करना है। अब लगभग सभी संस्थाएं बालकों के काम करने

को शोषण के रूप में समझने लगी हैं तथा बाल मज़दूरी के प्रति संवेदनशील हैं। संस्थान कई प्रकार की भूमिका निभा रही है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाल श्रम प्रथा तथा बाल श्रमिकों के कार्य करने के ख़िलाफ़ समाज में चेतना पैदा करने की प्रेरणा देते हुए बच्चों के लिए मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं व बाल श्रमिक बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सामूहिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरुक कर बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करना।

13. अन्य गतिविधियाँ

संचालित बाल श्रमिक विद्यालयों में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (श्रम एवं रोज़गार मन्त्रालय, भारत सरकार) जयपुर के माध्यम से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवाकर जिसमें मुख्यत: बालश्रम पर रोक लगाने व बाल श्रम करवाने पर कानूनी रूप से बच्चों के माता-पिता को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों आदि जानकारियां देते हुए उन्हें इस कार्यशाला के माध्यम से समझाया गया।

पुस्तकालय कार्यक्रम - प्रथम चरण
(Reading Room Programme)

संस्था विगत दो वर्षों से रूम टू रीड इण्डिया, जयपुर के सहयोग से अजमेर जिले के केकड़ी ब्लॉक के तीन संकुलों कादेड़ा, मेहरूकलां, गुलगांव के 18 चयनित विद्यालयों में पुस्तकालय कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, भाषा के प्रति समझ विकसित करने, पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करने एवं उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए करायी जाती है एवं कहानी, कविता, खेल से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ करवायी जाती हैं कविता कहानी एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित रंगीन आकर्षक पुस्तकों का वितरण, विद्यालय में एवं घर पर पढ़ने के लिए किया जाता है जिन्हे निश्चित अन्तराल पर सहजकर्ता द्वारा पुन: जमा की जाती है। इन पुस्तकों को ग्राम स्तर पर समुदाय को पढ़ने के लिए भी दिया जाता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. बच्चों में पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों से जोड़कर शैक्षिक स्तर में अपेक्षित सुधार लाना।
2. बच्चों में छुपी हुई रचनात्मक प्रवृत्तियों को पुस्तकालय गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना।
3. बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सुधार कर पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करना।

रणनीति

1. पुस्तकालय कार्यक्रम के वातावरण निर्माण हेतु सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे चलचित्र प्रदर्शन, पपेट शो का आयोजन करना।
2. पुस्तकालय के प्रति बच्चों, अभिभावकों एवं अध्यापकों की समझ का अध्ययन।
3. विद्यालय में पुस्तकालय से सम्बन्धित एवं अन्य साधनों का अध्ययन।
4. ग्राम स्तरीय, विद्यालय प्रबन्ध समिति, मासिक बैठकों का आयोजन करना।

5. सरकार से तालमेल एवं सम्बन्ध स्थापित करना।
6. सहजकर्ता, पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
7. समय-समय पर कार्यक्रम का निरीक्षण करना।
8. कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देना।
9. अध्यापकों से सम्पर्क स्थापित करना।

कार्यक्रम के संचालन हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ

1. पुस्तकालय सम्बन्धित सामग्री का प्रबन्ध

पुस्तकालय की स्थापना के लिए चयनित विद्यालयों में पुस्तकालय सामग्री जैसे कार्डशीट, रबड, पेन्सिल इत्यादि का संस्था द्वारा प्रबन्ध किया गया।

2. प्रशिक्षणों का आयोजन

पुस्तकालय से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं, विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय प्रभारी, शिक्षकों, प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय सम्बन्धित गतिविधियों एवं कार्यक्रम कि जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया।

3. बैठकों का आयोजन

बच्चों को पुस्तकालय के प्रति प्रोत्साहित करने उन्हें नियमित रूप से पुस्तकालय से पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तरीय एवं विद्यालय विकास समिति तथा कार्य के दौरान आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम स्तरीय, विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए मासिक बैठक का आयोजन किया गया।

4. विशेष गतिविधियाँ

बच्चों का मनोबल बढ़ाने उन्हें पुस्तकालय के प्रति प्रेरित करने उनकी रचनाओं को एक मंच देने के लिए पुस्तकालय कार्यक्रम के अन्तर्गत बालमेला, विश्व साक्षरता दिवस, रीडिंग वर्कशॉप, चित्रकला प्रतियोगिता, बाल पत्रिका निर्माण इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

पुस्तकालय कार्यक्रम द्वितीय चरण
(Reading Room Programme)

द्वितीय चरण में पुस्तकालय कार्यक्रम का प्रारम्भ अजमेर जिले के भिनाय खण्ड के चार संकुलों भिनाय, बान्दनवाड़ा, सिंगावल, देवलिया कला के 24 प्राथमिक विद्यालयों में किया गया।

कार्यक्रम की गतिविधियाँ

वातावरण निर्माण

समुदाय को पुस्तकालय कार्यक्रम की जानकारी देने एवं मानव जीवन में पुस्तकों के महत्त्व से समुदाय को अवगत

कराने के लिए सभी 24 ग्रामों में पपेट शो ज्ञानी बाबा के माध्यम से वातावरण निर्माण की गतिविधि करवायी गई।

पुस्तकालय सामग्री का प्रबन्ध

पुस्तकालयों के व्यवस्थित रूप में संचालन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कबाड, अलमारी, पिन बोर्ड, पोकेट डिस्पले इत्यादि सामग्री का प्रबन्ध किया गया।

आधार रेखा अध्ययन

पुस्तकालय कार्यक्रम जिन विद्यालयों में संचाालित किया जा रहा है उन विद्यालयों में वर्तमान में बच्चों के पढ़ने का स्तर कैसा है, उनकी पुस्तकालय एवं पुस्तकों के प्रति कितनी समझ है की जानकारी हेतु आधार रेखा अध्ययन किया गया जिसमें बच्चों, शिक्षक एवं अभिभावक में बातचित कक्षा एवं बच्चों की क्षमता अवलोकन प्रमुख अध्ययन प्रपत्र लिये गये।

सहजकर्ता प्रशिक्षण

गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी देने उनके कार्य के सफल संचालन के लिए सहजकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें कहानी कविता, भाषा, पढ़ना, शिक्षा इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई।

मासिक बैठक

कार्यक्रम की प्रगति का मूलांकन करने, कार्य के दौरान आ रही समस्यों का समाधान करने एवं कार्य योजना का निर्माण करने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए मासिक बैठक का आयोजन किया गया है।

बाल पत्रिका निर्माण

बच्चों की रचनाओं को एक मंच देने उनकी कल्पनाशीलता लेखन क्षमता को प्रोत्साहित कर उन्हें क्रमबद्ध करने के लिए बाल पत्रिका का निर्माण किया गया।

अध्यापक और समुदाय के साथ बैठक

विद्यालय स्तर पर अध्यापकों को एवं समुदाय को पुस्तकालय गतिविधियों की जानकारी देने एवं बच्चों को पुस्तकालय गतिविधियों पुस्तके पढ़ने के प्रति प्रेरित करने के लिए अध्यापकों और समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन किया गया।

स्टेशनरी एवं बाल पत्रिका वितरण

पुस्तकालय की गतिविधियों का नियमित रूप से संचालन हो इस हेतु आवश्यक सामग्री कार्डशीट, पेन्सिल, बाल पत्रिका इत्यादि संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी गई।

पुस्तकालय प्रभारी व अध्यापक के साथ बैठक

पुस्तकालय के महत्व संचालन एवं सहजकर्ता के कार्य में सहयोग देने के लिए पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित करवाने के लिए दो दिवसीय पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें प्रशिक्षण दाता प्रमोद पाठक व शिवकुमार गांधी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

पुस्तकालय कार्यक्रम सम्बन्धित विशेष गतिविधियाँ

बाल मेला

बच्चों का मनोबल बढ़ाने उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी माह में सभी 24 विद्यालयों में बाल मेलों का आयोजन किया गया जिसमें पुस्तकालय सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर पुरस्कार वितरण किया गया।

विश्व साक्षरता दिवस

बच्चों को साक्षरता दिवस की जानकारी देने एवं पुस्तकालय से जोड़ने के लिए 8 सितम्बर से 24 सितम्बर तक विश्व साक्षरता दिवस सप्ताह के रूप में सभी विद्यालयो में मनाया गया।

ग्रीष्मकालीन शिविर

ग्रीष्मकालीन शिविर अवकाश में बच्चों की पुस्तकालयों के प्रति रूचि बनाये रखने प्रत्येक चयनित विद्यालय में तीन दिन ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों का विभिन्न गतिविधियाँ करवायी गयी।

निरीक्षण

पुस्तकालयों का समय समय पर परियोजना समन्वयक व क्षेत्रिय परियोजना समन्वयक खण्ड शिक्षा अधिकारी सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा निरीक्षण किया गया इसमें प्रमुख रूप से पुस्तकों में लेन देन, पुस्तकालय के नियमित संचालन एवं गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

उपलब्धियाँ

पुस्तकालय कार्यक्रम से बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति में वृद्धि हुई है उनके पढने की सीखने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है बच्चों का पुस्तकों के प्रति रूझान बढ़ा है इस कार्यक्रम की गतिविधियों द्वारा बच्चों की रचनात्मकता सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि हुई है। समुदाय ने विद्यालय में पुस्तकालय के महत्त्व को समझा है।

लघुवित्त कार्यक्रम

(MICRO FINANCE PROGRAMME)

लघुवित्त क्षेत्र में संस्था पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही है जिसमें लगभग संस्था के पास वर्तमान में मार्च 2010 तक 250 स्वयं सहायता समूह हैं और आगामी एक वर्ष में संस्था दो सौ (200) नये स्वयं सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें संस्था तीन पंचायत समितियों में श्रीनगर, सिलोरा और भिनाय में यह स्वयं सहायता समूहों का गठन करना चाहेगी ताकि संस्था अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सके और संस्था श्रीनगर व भिनाय ब्लॉक में सभी गरीब परिवारों को लघुवित कार्यक्रम से जोडने का जो लक्ष्य रखा गया है इस पर संस्था निरन्तर प्रयास करती रही है और इससे उन परिवारों को फायदा मिला है जो कभी इस तरह की सुविधाओं की पहुँच से दूर रहे थे अब संस्था उन परिवारों के साथ उनका बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर भी कार्य कर रही है ताकि उन्हें गरीब परिवारों को अपना हक प्राप्त हो

और वह भी अपनी ज़िन्दगी को खुशी के साथ जी सके।

पहलः-

सर रतन टाटा ट्रस्ट के साथ वित्तीय सहयोग से संचालित परियोजना है। एसोसिएशन फॉर एडवांसमेन्ट थ्रू वॉलन्टरीश एक्शन एण्ड लोकल इनवॉल्वमेन्ट (अरावली) इस परियोजना में समन्वयक के रूप में भूमिका निभा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र के ग़रीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर बचत कर अपनी उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बैंक से जुडाव कर लिंकेज कर उपयुक्त आजीविका के साधनों में बहतर रूप से प्रयोग करके आयवर्द्धन कर सशक्त करता है जिससे उन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी को पूर्ण रूप से देकर समाज व देश के विकास में सहयोग करें।

परियोजना का कार्यक्षेत्र

अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा और भिनाय पंचायत समिति के 22 ग्रामों में 125 समूह संचालित हैं।

पहल

ज़िला	- अजमेर
पंचायत समिति	- श्रीनगर, सिलोरा, भिनाय
ग्राम पंचायत	- 12
ग्राम	- 22
समूह	- 125
सदस्य संख्या	- 1470
बीपीएल	- 170
एपीएल	- 140
अनु. जाति/जनजाति	- 165/10
ओबीसी	- 996
सामान्य	- 299
कुल बचत	- 3757300
कुल लोन	- 36745450

नाबार्ड

2006 से 2009 मार्च तक

ज़िला	- अजमेर
पंचायत समिति	- श्रीनगर, भिनाय
ग्राम	- 12
समूह	- 50
सदस्य संख्या	- 610 एपीएल - 1300
एपीएल	- 70
अनु. जाति/जनजाति	- 154/16
ओबीसी	- 350
सामान्य	- 90
कुल बचत	- 1237500
कुल लोन	- 18750000

पहल परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ

- स्वयं सहायता समूह गठन
- स्वयं सहायता समूह सेवाएं
- लेखा संधारण
- प्रशिक्षण (क्षमता वर्द्धन)
- प्रशिक्षण (आजीविका वर्द्धन)
- मीटिंग
- सामाजिक गतिविधियां
- बीमा से लोगों को जोड़ना
- सभा कलस्टर संघ फैडरेशन का निर्माण करना

स्वयं सहायता समूह

पहल परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कि गाँव के ग़रीब परिवारों के सदस्यों का चयन करके समान आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति व समान विचार धाराओं की महिलाओं का चयन करके एक समूह में 10 से 20 सदस्यों की समूह में लेते हैं और समूह के माध्यम से उन महिलाएं को लघु बचत, ऋण और वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाकर समूह सदस्यों की आजीविका को प्रोन्नत कार्यक्रम का संचालन के साथ सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर बैठकों में विचार-विमर्श करना। और उनको किस तरह से बड़े स्तर पर ले जाये ताकि उन लोगों को अपना अधिकार मिले और वह समाज में बराबर भागीदारी देने के लिए कलस्टर व फैण्डरेशन का निर्माण करना मुख्य लक्ष्य इस परियोजना के बाद स्वयं सहायता समूहों की स्वयं का एक संगठन तैयार किया जाये ताकि लम्बे समय तक सुचारु रूप से चलता रहे।

रणनीति

- गाँवों का चयन, समान आर्थिक स्तर की महिलाओं का चयन।
- समान विचारधारा व आपसी सहयोग व एकता की भावना वाले सदस्यों का समूह गठन।
- मासिक बैठकों का आयोजन व बचत के लिए प्रोत्साहन व आन्तरिक ऋण प्रक्रिया।
- स्वयं सहायता समूह दस्तावेजीकरण व जिम्मेदारी।
- आजीविका वर्द्धन के लिए बैंक से जुड़ाव।
- सामाजिक सुरक्षा हेतु बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुडाव।
- समूह आमुखीकरण की क्षमता को बढावा देना व मुंशी प्रशिक्षण।
- सामाजिक गतिविधियों की जानकारी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

उपलब्धि

पहल परियोजना की उपलब्धियाँ निम्नलिखित

- समूह गठन में आसानी
- बैंक से ऋण
- महिला सशक्तिकरण
- साहूकारों से छुटकारा
- आर्थिक शोषण से मुक्ति
- बैंक से लेनदेन की समझ।
- आत्मनिर्भर
- आजीविका वर्द्धन
- अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग
- लघु बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना।

पहल परियोजना की नई गतिविधियाँ

पहल परियोजना में संस्था और इस परियोजना से जुड़े लोगों को लम्बे समय तक लोग इस रूप से जुडे रहे जिसके लिए परियोजना में एक फैडरेशन और गठन करना।

फैडरेशन निर्माण

10-12 समूह मिलकर एक कलस्टर का निर्माण करते हैं और 10-12 कलस्टर मिलकर एक फैडरेशन का निर्माण

करते हैं और फैडरेशन पंचायत समिति या जिला स्तर पर भी हो सकता है और एक फैडरेशन में 150 से 200 समूह का होना चाहिए ताकि वह अपनी आवश्कताओं की पूर्ति सही प्रकार से कर सकें।

बीमा:- माइक्रो फाइनेन्स

इस योजना में बीमा भी उन परिवारों को जो उनकी पहुँच से दूर है उन लोगों के लिए सरकार कुछ बीमा कम्पनीयों ने बीमा की योजना चालू की और गरीब लोगों को जोखिम सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वह अपनी जिन्दगी को जोखिम में डालकर कार्य करते हैं उन लोगों का बीमा होना जरूरी है क्योंकि यदि परिवार के मुखिया या जो काम कर रहा है यदि उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो वह परिवार पूरी तरह बिखर जाता है। संस्था ने उन लोगों के साथ बीमा कम्पनियों से मिलकर समूह के सदस्यों का बीमा करने की पहल की गई जिसमें संस्था ने 2009 में कुल 1140 सदस्यों का जीवन बीमा विभिन्न बीमा कम्पनियों से करवाया ताकि गरीब लोगों की जोखिम को कम किया जा सके।

मुंशी प्रशिक्षण माइक्रो फाइनेन्स

संस्था ने मुंशी प्रशिक्षण भी करवाया गया ताकि जो स्वयं सहायता समूह से सही तरीके व लम्बे समय तक रिकॉर्ड पूर्ण रूप से रखने के लिए संस्था ने दो प्रशिक्षण सी एम एफ जयपुर के वित्तिय सहयोग से 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन 2009 में किया गया और इस प्रशिक्षण के परिणाम को देखते हुऐ संस्था बीच बीच में इन मुंशियों का क्षमतावर्द्धन के लिए भी संस्था ने कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और वर्तमान में संस्था ने 50 मुंशीयों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया और सभी मुंशी संस्था के साथ जुडकर कार्य कर रहे हैं। और संस्था द्वारा इन मुंशीयों को तीन माह में एक बार उनके साथ बैठक लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करती रहती है। और कुछ मुंशीयों ने नये समूहों का गठन भी किया और चार मुंशीयों ने संस्था में बीमा का काम भी कर अपनी आजीविका का साधन बनाया है जिसके माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही समूह के रिकॉर्ड को सही करने वाले व्यक्ति मिल गये और उनकी बैठकों पर भी समय पर होने का कार्य निरन्तर चलता रहा है। इस प्रकार से मुंशीयों को प्रशिक्षण देकर समूहों की समस्याओं को कुछ हद तक हल करने में यह कार्यक्रम लाभदायक रहा है और उनको किस प्रकार से असंगठित क्षेत्र में लोगों का अस्तित्व विकास करना श्रमिकों में सभी प्रकार के कुशलता विकसित करने के साथ साथ उनके स्वयं के संगठनों को विकसित करने तथा उन्हें निर्बाध एवं प्रभावी रूप से चलाने के लिए तैयार करना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए प्रशिक्षण से लोगों में जागरूकता के साथ साथ उनके संगठनों की शक्तियों को जानने से उनके आत्म विश्वास में बढोतरी हुई है।

जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
RISK MATIGATION PILOT PROJECT

बीमा

सेन्टर फोर माइक्रो फायनेन्स- के सहयोग से फरवरी 2010 माह में यह प्रोजेक्ट की शुरूआत ग्रामीण महिला विकास संस्थान के साथ मिल कर की थी जिसमें संस्था ने फरवरी व मार्च माह में 570 लोगों को बीमा से जोड़ा गया और इसके

साथ साथ ही संस्था को एक बीमा को लम्बे समय तक चालू रखने की दिशा सुनिश्चित हुई इसके साथ साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना विश्वकर्मा अंश दायी पेंशन, वृद्धापेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आदि पेंशन को जो लोग इसके हकदार हैं इसमें सी. एम. एफ. की मदद से जरूरतमंद लोगों को ग्राम पंचायत तक ले जाकर उनके फार्म भरना और उनका मार्ग निर्देशन करना आदि कार्य इस प्रोजेक्ट में शुरू किया जा रहा है। जिसमें संस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। जिसमें लोगों की रिस्क को मापने के लिए 100 परिवारों का एक सर्वे किया गया और अजमेर क्षेत्र में गरीब लोगों को किन-किन जगह पर रिस्क ज्यादा रहती है। उसी के हिसाब से आगे लोगों को सेवाएँ देने का कार्य संस्था करेगी संस्था द्वारा मार्च 2010 माह तक 1470 लोगों को बीमा से जोडा गया है। इसके साथ साथ संस्था द्वारा पशुओं के भी बोमा का कार्य की शुरुआत की है मार्च 2010 तक 34 भैंसों का बीमा करवाया गया है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर
श्रम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से

सशक्तिकरण:-

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम मंत्रालय जयपुर द्वारा ग्रामीण महिला विकास संस्थान के साथ मिलकर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं पुरुषों को संगठन बनाने के लिए श्रम मंत्रालय जयपुर ने 120 लोगों को प्रशिक्षण देकर उनको आजीविका को बढाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अधिकारों के लिए लडने आदि के लिए उनको प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार करना और उसके साथ उनको ट्रेनिंग में आने के लिए दैनिक भत्ता भी दिया जाता है, ताकि उनके इन प्रशिक्षण में आने पर उनकी दैनिक दिनचर्या पर कोई फर्क ना पडे और उसमें सभी को सूचना का अधिकार, दैनिक मजदूरी बचत बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ साथ विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना की जानकारी उपलब्ध करवाना पिछडों को संस्था के साथ मिलकर उनको संगठित किया जा रहा है। और इसमें ग्रामीण महिला विकास संस्थान की भूमिका फेसीलेट करने की रहती है। इसके साथ साथ केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम मंत्रालय जयपुर असंगठित महिलाओं आजीविकावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण भी देता है और उनकी सहायता भी करता है।

स्वयं सहायता समूह:-

ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से 200 नये स्वयं सहायता समूह का गठन करने का प्रोजेक्ट फरवरी 2010 में मिला था जिसमें संस्था ने तीन पंचायत समितियों में 200 में नये समूहों का गठन करना है। जिसमें संस्था ने फरवरी 2010 में 25 नये समूहों का गठन किया है। और उनको बचत के लिए प्रेरित किया गया है संस्था ने 2007 में भी नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से 50 समूहों का गठन किया और उनको बैंक से जोड़ा तथा लोन दिलाकर स्वरोजगार व आजीविकावर्द्धन को बढावा दिया। संस्था द्वारा चयनित गाँव दांता को नाबार्ड द्वारा अजमेर जिले के दांता ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, जिसमें से नाबार्ड ने ग्रामीण महिला विकास संस्थान के सहयोग से सभी लोगों को बैंक से जोडा गया जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गगवाना का भी विशेष योगदान रहा है। इसके साथ नाबार्ड ने ग्रामीण महिला विकास संस्थान बूबानी के साथ मिलकर 2009 व 2010 में 6 किसान क्लबों का भी गठन किया गया।

किसान क्लब गठन:-

संस्था ने नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से 2010 में 10 किसान क्लबों का गठन करने का कार्य संस्था द्वारा करना है ताकि गाँव के किसानों को एक संगठन के रूप में मिलकर कार्य करें और वर्ष 2009 में नाबार्ड के सहयोग से एक किसान क्लब को राज्य स्तर पर अवार्ड भी मिला है। इससे किसानों में नई तकनीकि और आधुनिकता से खेती करने की नई जानकारियाँ मिल सकें और किसान जागरूक होकर विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम (SMCS)

सी. आर. एस., जयपुर के सहयोग से आर. सी. डी. समाज सेवी संस्थान, मदार, अजमेर के मार्गदर्शन से संस्था सितम्बर, 2004 से 5 वर्षों से भिनाय पंचायत समिति के धातोल एवं बूबकिया ग्राम पंचायत के 8 ग्रामों में सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीविताता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिसमें सम्पूर्ण गर्भवती व 0 से 3 साल तक के बच्चों को लाभान्वित किया गया।

उद्देश्य

ए.एन.सी/पी.एन.सी सम्पूर्ण टीकाकरण संस्थागत प्रसव करवाने व सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय कर क्षेत्र की मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करना।

विभिन्न गतिविधियां

जागरूकता बैठक:-

गर्भवति धात्री महिलाओं को टीकाकरण के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु प्रत्येक माह में 2 बार बैठकों एवं गृह भ्रमणों के दौरान सलाह दी जाती है। सुरक्षित प्रसव हेतु अस्पताल में प्रसव करवाने हेतु महिलाओं को प्रेरित किया गया। मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु रखने वाली सावधानियों से अवगत करवाया जाता है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति बैठक

ग्राम में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु नियमित बैठकों में भाग लेने हेतु महिलाओं को प्रेरित किया जाता है। जिसमें अपनी समस्याओं को बैठक में रखकर समाधान हेतु प्रस्ताव दिलवाने तथा स्वच्छता के प्रति साथी महिलाओं को भी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।

टीकाकरण

छ: जान लेवा बीमारियों से सुरक्षा हेतु गर्भवति महिलाओं व शिशुओं का पंजीकरण से लेकर सम्पूर्ण टीकाकरण करवाने हेतु मासिक बैठकों में जानकारी तथा ए.एन.एम. द्वारा सम्पूर्ण टीकाकरण करने से होने वाले फायदे लोगों को बताकर सम्पूर्ण टीकाकरण समयानुसार करवाने हेतु प्रयास किया गया।

पोषाहार वितरण

एस.एम.सी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवति महिलाओं व 0 से 3 वर्ष के नवजात शिशुओं को पोषाहार के रूप में सी. आर. एस. अमेरिका के सहयोग 1.5 किलो ग्राम दलिया व 1 लीटर तेल प्रति सहभागी को प्रतिमाह दिया जाता है। ताकि गर्भवति महिलाओं के पोष्टिक आहार की पूर्ति हो सके गर्भ में पलने वाला शिशु स्वस्थ पैदा हो। साथ शिशु का उम्रानुसार मानसिक शारीरिक विकास हो सके। प्रत्येक गाँव में निश्चित तारीख को पोषाहार वितरण किया जाता है।

दाई प्रशिक्षण व किट वितरण

परियोजना अन्तर्गत दाइयों को प्रशिक्षण देकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल व जच्चा बच्चा को प्रसव पूर्व व प्रसव के समय, प्रसव बाद सुरक्षित कैसे रखा जाये की जानकारी किट वितरण किये गय। परिणामस्वरूप आज दाइयों ने इसमें दक्षता प्राप्त कर प्रसव की बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

सरकारी योजनाओं की जानकारी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय योजनाओं की जानकारी मासिक बैठकों में दी जाती है। तथा योजना के लाभार्थी तथा प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है।

स्वास्थ्य रैली

टीकाकरण हेतु एम.सी.एच.एन.डी की जानकारी व सम्पूर्ण टीकाकरण करवाने हेतु प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य रैलियां निकाली जाती हैं। जिसमें बच्चों को साथ लेकर नारे लगवाये जाते हैं।

ए.एन.सी/पी.एन.सी सेवाएँ

प्रसव पूर्व प्रसव पश्चात माता तथा शिशु सुरक्षित स्वस्थ रहे। यह देखभाल गर्भधारण के साथ ही प्रारम्भ होती है। जैसे-

- गर्भावस्था के दौरान कम-से-कम 3 जांच प्रसव पूर्व कराना।
- टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके, तीसरे व पाँचवे माह में लगाना।
- ख़ून की कमी (एनीमिया) से बचाव के लिए आयंरन फोलिक एसिड की 100 गोली खाना।
- प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही सुरक्षित प्रसव कराना।
- माँ के प्रथम दूध की महत्त्वता की जानकारी देना।
- 6 माह बाद उपरी आहार देना।
- 0-1 वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण टीकाकरण करवाना।

परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार	परियोजना में कुल सहभागी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	दाई
सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम	भिनाय	बूबकिया	बूबकिया	1262	208	80	मैना देवी	लाली देवी
			रेण	648	93	60	मैना देवी	थेली देवी
			सोलकलां	584	97	60	उमी देवी	उमी देवी
			सोलखुर्द	471	71	40	उमी देवी	मुन्नी देवी
			खायड़ा	1068	197	75	निर्मला	नन्दू देवी
			पीपलिया	826	165	60	गीता देवी	गीता देवी
		धातौल	उदयगढ़	1413	212	100	सीमा	पारसी देवी
			हीरापुरा	1207	198	100	पारसी	ऐजी देवी

RCH परियोजना
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना

मदर एन.जी.ओ. स्कीम के अन्तर्गत पंचायत समिति भिनाय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बान्दनवाडा उप स्वास्थ्य केन्द्र छछुन्दरा, रुपपुरा, पडागा के 14 गाँवों में आर.सी.एच. कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

उद्देश्य

स्वास्थ्य शिक्षा व सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय कर क्षेत्र में मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करना।

विभिन्न गतिविधियाँ आयोजन

सर्वे

क्षेत्र की वास्तविक स्थिति जानने हेतु प्रत्येक परिवार का सर्वे किया गया। जिसमें गर्भवति/धात्री/किशोर/किशोरी/योग्य दम्पतियों कि संख्या व वर्तमान स्थिति से अवगत हुए।

स्वास्थ्य बैठकों का आयोजन

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु किशोर किशोरियों के साथ मासिक बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें सामान्य रोग फैलने के कारणों के बारे में अवगत करवाया गया। बैठकों में स्वास्थ्य से सम्बन्धित बीमारियों के बारे में जानकारी ली जाती है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक पेपेट शो

कार्यक्षेत्र में लोगों की जानकारी बढ़ाने हेतु प्रत्येक गाँव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गर्भधारण पंजीकरण कराने हेतु जानकारी दी गयी।

टीकाकरण

संस्थागत प्रसव स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय योजनाओं व आंगनबाड़ी पर उपलब्ध सुविधाओं तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की जानकारी व नुक्कड़ व पपेट-शो के माध्यम से दी गई।

नेटवर्क बैठक

परियोजना के सफल संचालन व कार्यक्रम की गुणवत्ता बढाने हेतु वार्ड पंच/सरपंच/आंगनबाडी कार्यकर्त्ता/आशा सहयोगनी/ ए.एन.एम./ डॉक्टर/ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. के साथ बैठक आयोजित की गई।

स्वास्थ्य रैली

सम्पूर्ण टीकाकरण करवाने हेतु व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए परियोजना क्षेत्र के सभी गाँवों में स्वास्थ्य रैली निकाली गई जिसमें स्वास्थ्य व योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए नारे लगाये गये।

नारा लेखन

प्रत्येक ग्रामीण को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु सभी गाँवों के मुख्य स्थानों पर नारा लेखन करवाया गया। जिसमें सम्पूर्ण टीकाकरण सरकारी योजनाओं स्वच्छता खाद्य पदार्थों की सुरक्षा व शौचालय प्रयोग आदि के बारे में लोगों की जानकारी बढाने हेतु प्रयास किया गया।

ग्राम स्वास्थ्य कमेटी गठन

ग्रामवासीयों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने व सरकारी योजनाओं की जानकारी तथा स्वास्थ्य व स्वच्छता से सम्बन्धित समस्याओं से ग्राम पंचायत बैठकों में अवगत करवा कर समाधान हेतु प्रयास किया जाता है।

सरकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण

ग्रामवासियों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रशिक्षण दिये गये।

क्रं.सं.	परियोजना	पंचायत समिति	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	ग्राम पंचायत	गाँव
1.	आर.सी.एच. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	भिनाय	बान्दनवाड़ा	छछून्दरा	छछून्दरा	छछून्दरा सेदरिया रतनपुरा सरगाँव जोरावरपुरा गोर्वधनपुरा दौलतपुरा
2.	आर.सी.एच. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	भिनाय	बान्दनवाड़ा	रूपपुरा	पडांगा	रूपपुरा मोतीपुरा अमरगढ़ रामपुरा देवरिया
3.	आर.सी.एच. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य	भिनाय	बान्दनवाड़ा	पडांगा	पडांगा	पडांगा अर्जुनपुरा

किसान खेत पाठशाला

अजमेर ज़िले के भिनाय पंचायत समिति में पशुपालन अधिक पाया जाता है। यहाँ के लोगों की मुख्य आय ही पशुपालन से होती है। मुख्यत भेड़ बकरियां यहां के पशु पालक अधिक पालते हैं। किन्तु यहां के पशु पालक बकरियों की अच्छी नस्ल से अनभिज्ञ हैं। पुर्खों से ही नस्ल चली आ रही है, जिसमें बकरियों की संख्या तो अधिक होती है मगर आय बहुत कम होती है। बकरी पालकों व आय बढाने हेतु अच्छी नस्ल की जानकारी देने हेतु संस्थान द्वारा अरावली जयपुर के सहयोग से किसान खेत पाठशाला का आयोजन माह में दो बार आयोजित किया गया।

पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गाँव
भिनाय	बूबकिया	खायडा, सोलखुर्द, सोलकलाँ,
	सोबड़ी	घणा का झोपड़ा, कुम्हारियाँ खेडा, सोबडी राम सागरिया
	नागोला	बडला

किसान खेत पाठशाला के उद्देश्य

- बकरी पालकों को अच्छी नस्ल की जानकारी देना।
- बीजु बकरा किसानों से खरीदना।
- टीकाकरण समय चक्र जानकारी होना।
- नस्ल सुधार करवाना।

रणनीति

किसानों को बकरी की शारीरिक जानकारी देने हेतु माह में दो बार किसान खेत पाठशाला का आयोजन करवाया गया।

- स्थानीय सहजकर्ता तैयार किये गये।
- किसानों के बचत समूह गठन किये गये।
- डिवर्मीग केम्प पशुपालन विभाग आयोजित करवाये गये।
- पशु चिकित्सालय से लोगों का नियमित जुडाव

मुख्य गतिविधि

- **जीसा**

बकरी का पारिस्थितीक विश्लेषण करने हेतु किसानों द्वारा बकरी का जीसा करने के लिए किसानों को थर्मा मीटर उपलब्ध करवाये गये। ताकि बकरी का तापमान ज्ञात किया जा सके।

- **टीकाकरण**

बकरी में होने वाली बीमारियों से बचाव करने हेतु मौसमनुसार टीकाकरण करवाने हेतु किसानों को जागृत किया गया व टीकाकरण केम्प आयोजित करवाये गये।

- **डीवर्मिंग केम्प**

बकरियों के पेट के कीड़े मारने हेतु ग्राम स्तरीय डीवर्मिंग कैम्प आयोजित करवाये गये जिसमें किसानों द्वारा डीवर्मिंग की गई।

- **वर्मीकम्पोस्ट यूनिट**

उपलब्ध खाद की गुणवता बढाने व रासायनिक खादों का प्रयोग कम करने हेतु 5 वर्मीकम्पोस्ट यूनिट प्रदर्शन लगवाये गये।

किसानों को अपनी बकरियों की नस्ल सुधारने हेतु रामसर फार्म से बीजु बकरा खरीदने हेतु भ्रमण करवाया गया।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना

आज के महंगाई के दौर में पति एवं पत्नी दोनों को कार्य करना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और परिवारों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ ही कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की

उचित परिवेश में देखभाल के लिए शिशु पालन गृह की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव हो रही है। शिशुओं की समुचित देखभाल अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निर्धन महिलाओं के शिशुओं को बाल श्रम से बचाने व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिशुपालन गृह का महत्त्व भी बढ़ रहा है। अत: संस्थान ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर के सहयोग से कार्यक्षेत्र के गाँव शाला की ढाणी (बूबानी) में कामकाजी माताओं के शिशुओं के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु पालन गृह योजना के अन्तर्गत शिशु पालन गृह का संचालन दो वर्ष से कर रही है। इसमें 0 से 6 वर्ष तक 25 शिशुओं को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रखा जाता है। साथ ही बच्चों के लिए खिलौने, झूले आदि की व्यवस्था की गई है। साथ में पोषाहार व आवश्यक दवाइयों की भी व्यवस्था है। साथ में बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने हेतु आवश्यक दवाईयों की भी व्यवस्था की जाती है। प्रति दिन बच्चों को पोषाहार भी दिया जाता है। यह क्रम साप्ताहिक मीनू के आधार पर चलता रहता है।

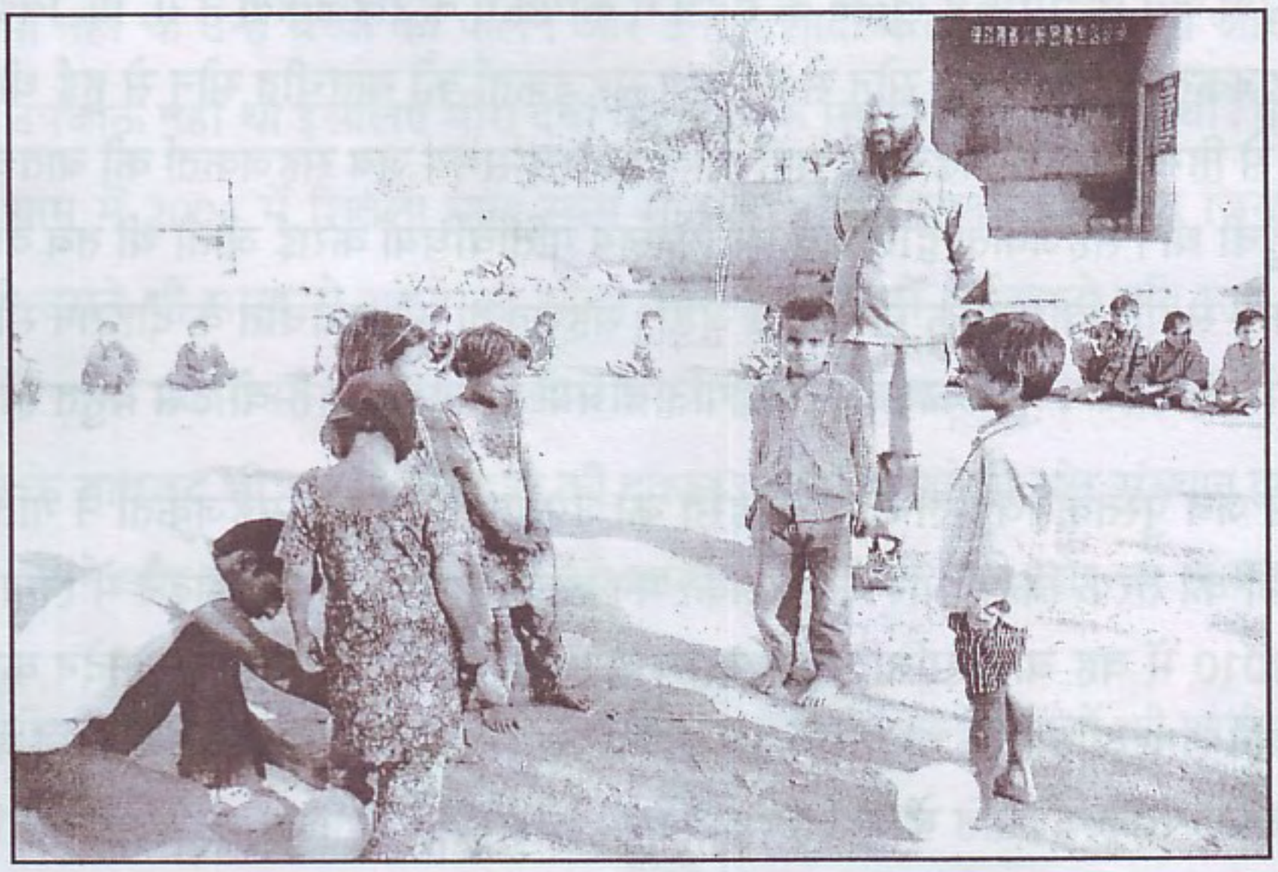

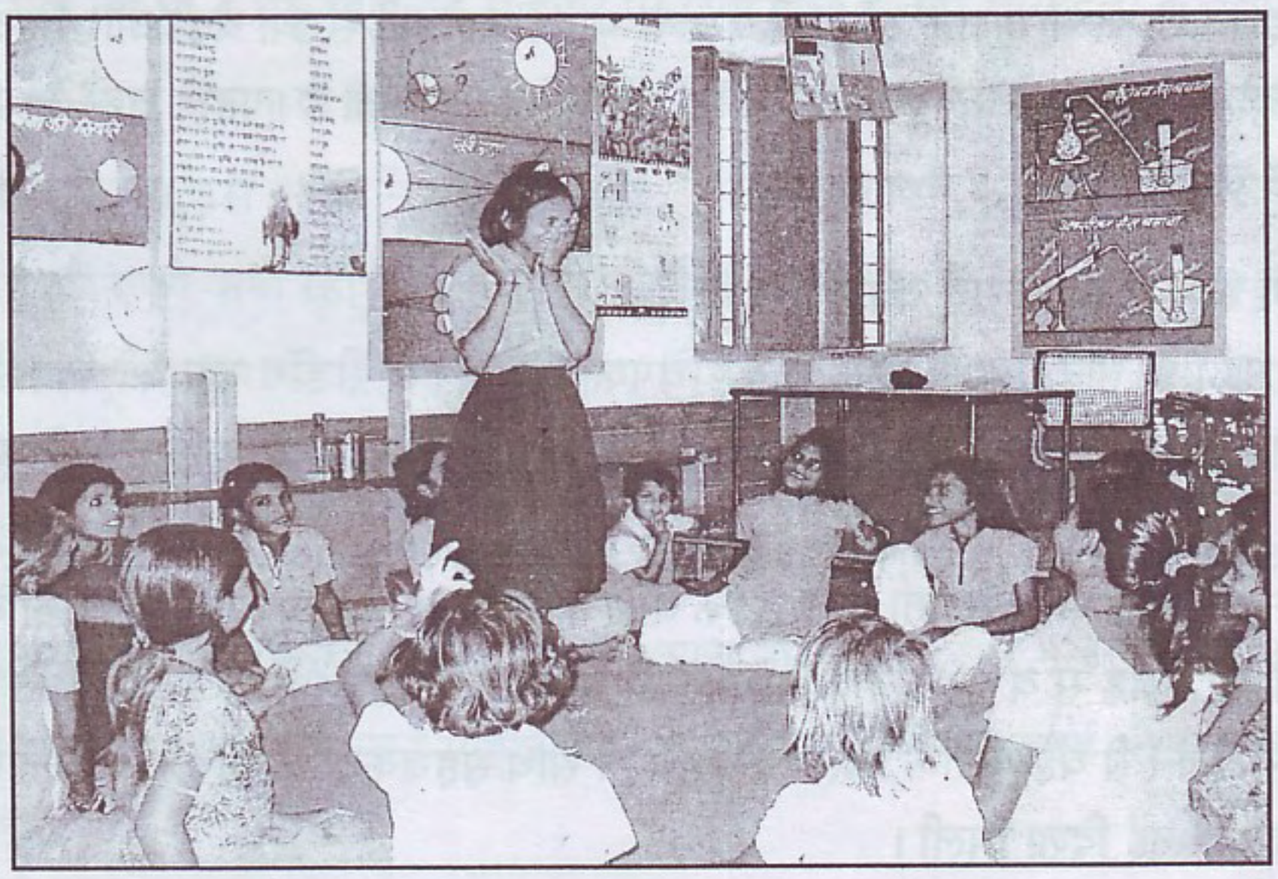

बालक का नाम	**सोनू सिंह रावत**	पिता का नाम	हेमा राम रावत
माता का नाम	सोरता देवी	विद्यालय का नाम	राज. प्रा. वि. रामनगर
ग्राम	देवरिया	उम्र	11 वर्ष
पिता का व्यवसाय	कारीगर	इच्छा	अध्यापक बनना

सोनू भिनाय ब्लॉक के ग्राम देवरिया का रहने वाला है। इसके पिता कारीगर हैं जो मकान बनाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण सोनू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। क्योंकि उसके पिताजी उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे और स्कुल अध्यापक भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। जिसके कारण सोनू स्कुल के समय बकरियाँ आदि चराता था इस कारण उसकी उपस्थिति कम थी।

माह अगस्त 2009 में जब रिडींग रूम खुलने के संदर्भ में कार्यक्रम के सहजकर्ता ने रा. प्रा. विद्यालय रामनगर में जाना प्रारम्भ किया तब सहजकर्ता की बातचीत सोनू से हुई जब सहजकर्ता की बातचीत सोनू से हुई थी तब उसे कक्षा पाँच में आने के बावजूद ढंग से हिन्दी किताब पढ़ना भी नहीं आता था उस समय जब सहजकर्ता की बातचीत हुई थी तब किताबें विद्यालयों में नहीं पहुंची थी। सहजकर्ता द्वारा जब पुस्तकालय गतिविधियाँ कराई जाती थी तब वह धीरे धीरे रूम टू रीड के रिडींग रूम कार्यक्रम से गतिविधियों के माध्यम से जुड़ा। सहजकर्ता की बातचीत के दोहरान सोनू ने बताया कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है लेकिन पुस्तकालय में जो गतिविधियाँ कराई जाती हैं वो उसे बहुत ही अच्छी लगती हैं।

दिसम्बर 2009 में जब पुस्तकें विद्यालय पहुंची इसी का उपयोग करते हुए सहजकर्ता ने गतिविधियों के माध्यम से उसका झुकाव पुस्तकों की तरफ किया धीरे धीरे उसका मन छोटी छोटी कहानीयाँ पढ़ने में लगा वह अटक अटक कर पढ़ता था। जनवरी 2010 में वह बाल समिति का सदस्य बना वह बच्चों को किताबे लेनदेन करने लगा साथ ही साथ गतिविधियाँ भी करवाने लगा और स्वंम भी पुस्तकें घर ले जाने लगा और कहानियों की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें भी ले जाने लगा। उसकी पढ़ने की गति में बदलाव आया।

चार महिनों की इस प्रक्रिया में बालक सोनू की पुस्तक घर ले जाने की संख्या बढी और हिन्दी की पुस्तकें पढ़ने की गति बढी पुस्तक लेनदेन आसानी से कर लेता है रिकॉर्ड भी मेनटेन कर लेता है। पहले जहाँ ओसत उपस्थिति 20 से 25 थी वही अब यह 35 से 40 हो गयी है।

बालक द्वारा रीडींग रूम में किये गऐ कार्य

● पैन्टिंग बनाई गई। ● चार्ट पेपर पर पैन्टिंग को चिपकाया गया। ● रीडींग रूम की साफ सफाई की जिम्मेदारी। ● रिकॉर्ड मेन्टेन। ● खेल गतिविधियाँ। ● लहर पत्रिका के जून अंक में संकलित कविता। ● बाल समिति की सदस्यता।

बालक की जीवन अध्ययन करने से पता चला है कि बालक का रूझान पुस्तकों के प्रति था लेकिन घर व विद्यालय की तरफ से ध्यान न देने की वजह से व पुस्तकों के अभाव की वजह से बालक अपनी सही स्थिति से भटक रहा था। सही समय पर रीडींग रूम खुलने से वह पुस्तकें मिलने से साथ ही साथ सहजकर्ता के नियमित ध्यान देने से बालक की रूची पढ़ने की हुई और उसको नई दिशा मिली।

नाम	**मीरा देवी**	पति का नाम	बिरम लाल
जाति	रेगर	उम्र	45 वर्ष
शिक्षा	अनपढ़	पता	ग्राम नौलखा ज़िला अजमेर (राज.)

पहले की स्थिति- मीरा देवी नौलखा गांव की रहने वाली है और वह गांव शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है वहां पर यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं इसके साथ साथ गांव में रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। मीरा देवी महिला होने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी और अशिक्षित होने के कारण उसके चार बच्चे होने के कारण भी वह मजदूरी भी नहीं कर सकती और उसका पति भी बीमार रहता था जो कि वह भी काम नहीं कर पाता और कमाई का कोई और साधन भी नहीं था उन्हें बच्चों को पालने और उनकी शादी करने की चिंता थी और उसके पास सिर्फ दो बीघा जमीन है जो भी उपजाऊ नहीं थी इसलिए मीरा देवी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ग्रामीण महिला विकास संस्थान द्वारा नौलखा ग्राम में 2004 में शितला माता स्वयं सहायता समूह गठन किया गया जिसमें मीरा देवी चयनित परिवार की महिला थी उसने भी समूह से जुडने की सोची और शुरूआत में 20 रूपये प्रति माह से बचत करने लगी। जिसमें मीरा देवी की प्रेरणा से अलग समूह बनाया जिसमें संस्था द्वारा 35 हजार रूपये का रिवालिंग फण्ड भी समूह को दिया गया अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने मनिहारी की दुकान गाँव में ही खोली ओर संस्थान द्वारा जगह जगह कॉफ्ट मेलों में मीरा देवी को अपने और समूह के द्वारा बनाये गये सामानों को बेचने लगी ओर घर से बाहर निकलने लगी।

वर्तमान स्थिति- मीरा देवी की वर्तमान स्थिति बहुत ही अच्छी है उसने दोनों बेटियों की शादी कर दी और दोनों बेटों को स्कूल में पढ़ा रही है। एक बेटा 10वीं में दूसरा 8वीं में पढ़ रहा है। आज उसने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर खेती करती है। उसके पति को भी 4 भैंसे दिलाकर रोज़गार पर लगा दिया है और मीरा देवी ने नाबार्ड के द्वारा संस्थान को एक मार्केट आउटलेट के लिए दुकान दी है जिसमें मीरा देवी आस पास के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे हेंडीक्राफ्ट सामानों को खरीदकर उस दुकान में बेचती है और वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी रही है। वर्तमान में मीरा देवी प्रति माह 2 हज़ार रुपये कमा रही है। इससे मीरा देवी में आत्मविश्वास आने लगा। यह महिला, निरन्तर प्रयास करके अपनी और गाँव में दूसरी निरक्षर महिलाओं के लिए मिसाल बनकर सामने आई। मीरा देवी के इस साहस को देखकर गाँव व गाँव के आसपास के क्षेत्र की महिलाएँ गाँव से बाहर निकलने लगी हैं। मीरा देवी आस-पास के क्षेत्र में जाकर स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए काम कर रही है। मीरा देवी ने शिक्षा के महत्त्व को पीछे छोड़ते हुए यह सिद्ध कर दिया की अशिक्षित महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। आज मीरा देवी दूसरी महिलाओं में आत्मविश्वास लाने के लिए संस्थान के स्वयं सहायता समूह में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य भी कर रही हैं।

संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- जल चेतना स्वास्थ्य कृषि योजना पल्स पोलिया आदि सरकारी अभियानों में अहम भूमिका निभाना।
- ग्राम विकास कमेटी महिला स्वयं सहायता समूह किसान क्लब आदि संगठनों का निर्माण।
- बाल श्रमिक उन्मूलन एवं उनका शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव एवं मासिक स्टाईफण्ड उपलब्ध।
- बेहतर पशुपालन को बढ़ावा एवं नस्ल सुधार।
- उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग में बढ़ावा एवं बेहतर पैदावार।
- साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज प्राप्त करने से छुटकारा दिलाने के लिए अधिक से अधिक महिला समूहों की स्थापना एवं कम ब्याज दर पर बैंकों से जुड़ाव।
- सुरक्षित प्रसव एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
- किसान क्लब एवं समूह संघ जैसे बड़े मंचों का गठन।
- पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास व जिज्ञासावर्धन।
- अकाल राहत के तहत चारा डिपो का संचालन।
- महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मार्केट ऑउटलेट की स्थापना।

संस्था की भावी सोच

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ाना।
- वन संरक्षण एवं पर्यावरण चेतना में चागरूकता लाना।
- जैविक खाद के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करना व शेड निर्माण।
- पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना।
- उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देना व अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- बाल श्रम उन्मूलन एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- अकाल की विभीषिका से बचाव के स्थाई उपाय सुनिश्चित करना।
- पशु संरक्षण एवं नस्ल सुधार हेतु जागरूकता पैदा करना।
- महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त दोहन द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में उपाय।
- महिला संगठनों एवं किसान क्लबों का गठन करना।
- जल संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाना।
- सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन की स्थापना करना।

सहयोगी संस्थाऐं

1. नाबार्ड जयपुर
2. अरावली, जयपुर
3. सी. आर. एस., गुजरात
4. श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
5. सेन्टर फॉर माइक्रोफाईनेन्स, जयपुर
6. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर
7. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर
8. सर रतन टाटा ट्रस्ट मुम्बई
9. राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड जयपुर
10. आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था मदार, अजमेर
11. रूम टू रीड, जयपुर
12. राजस्थान महिला कल्याण मण्डल चाचियावास, अजमेर
13. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, अजमेर

संस्थान की वर्तमान कार्यकारिणी

1.	श्री अनिल कुमार माथुर	अध्यक्ष
2.	श्री मनोज शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री शंकरसिंह रावत	सचिव
4.	श्री शम्भूसिंह रावत	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमति अरूणादेवी	कार्यकारिणी सदस्य
6.	श्रीमति लक्ष्मीदेवी	कार्यकारिणी सदस्य
7.	श्रीमति सरस्वती भाट	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्रीमति रतनादेवी	कार्यकारिणी सदस्य
9.	श्रीमति भाणीदेवी	कार्यकारिणी सदस्य

CA SWAMI SHARAN VERMA

B. Jain & Associates
Chartered Accountants

C-3, 1st Floor, Gathala Chambers, Near Laxmi Mandir
Jaipur - 302015 ☎: 0141-2740935, 94142 71614
e-mail :- ssvermafca@gmail.com

FORM NO. 10 B

[See Rule 17B]

Audit Report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

AUDITOR'S REPORT

I have examined the Balance Sheet as on 31.03.2010 of **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**, Village Bubani, Via -Gagvana, Ajmer and the Income & Expenditure Account and Receipt And Payment Account for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Society's management.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

And we report that:

1. I have obtained all the information and explanations, which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.

2. That Balance Sheet Income & Expenditure Account and Receipt And Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained by the **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**

3.In my opinion proper books of account have been kept by the above named society so far as appears from my examination of books, subject to the comment below.

In my opinion and to the best of my information, and according to explanation given to me, the said accounts give a true and fair view-

(i) In the case of the balance sheet,of the state of affairs of the above named trust as at 31.3.2010

(ii) In the case of income & expenditure a/c ,of the surplus of its accounting year ending 31.3.2010

For B. Jain & Associates
Chartered Accountants

(Swami Sharan Verma)
Partner
(FRN 500100N & M. No. 076981)

Jaipur, 24th July 2010

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

ABRIDGED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31.03.2010

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
To **Project Expenses:-**		By **Grant in Aid:-**	
NCLP	213734.00	CRS & RCD	67336.00
C.R.S.& R.C.D.	67981.00	NCLP	60859.00
FCRA	1128841.00	FCRA	1566690.00
CRE'CHE	44027.00	S.W. B.(AGP Training)	30000.00
S.W. B.(AGP Training)	30000.00	LIC	44563.00
LIC	39609.00	B.R.G. Bank	16050.00
SRTT	108000.00	SRTT	148784.00
B.R.G. Bank(IVRS Training Exp.)	16050.00	FFS Project	16195.00
FFS	7909.00	DMP	20587.00
NABARD	225016.00	NABARD	201500.00
DMP Project	20587.00	CMF	9056.00
To General Admin. Exp.	160727.35	CRE'CHE	42384.00
To Depreciation	33092.00	By Other Receipts	315728.00
To Excess Provision w/b (RIMPH)	33998.00	By Excess of Expenses over Income	77708.35
To Programme Balance	487869.00		
	2617440.35		**2617440.35**

ABRIDGED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2010

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
General Fund	600263.83	Fixed Assets	551329.90
Unsecured Loan	113241.00	**Grant Receivable**	
Motorcycle Loan	16394.00	FCRA	155963.00
Programme Balance	487869.00	CRE'CHE	42384.00
		S.W. B.(AGP Training)	7500.00
		CUTS	1000.00
		FDR Investment	100000.00
		TDS Receivable	3717.00
		Closing Balance	
		Cash in Hand	34531.00
		Cash at Bank	321342.93
	1217767.83		**1217767.83**

In terms of our Audit Report even date attached.

For B. Jain & Associates
Chartered Accountants

(Swami Sharan Verma)
(Partner)
24 July 2010, Jaipur

B. JAIN & ASSOCIATES Chartered Accountants

For GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN

Secretary

Gramin Mahila Vikas Sansthan
Bubani (Ajmer) 305029

संस्थान के वर्तमान कार्यकर्तागण

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यानुभव
1.	शंकर सिंह रावत	निदेशक	13 वर्ष
2.	रिषी गुप्ता	कार्यक्रम अधिकारी	3 वर्ष
3.	गजानन्द	कार्यक्रम समन्वयक	5 वर्ष
4.	जवानसिंह	वरिष्ठ लेखाकार	1 वर्ष
5.	शम्भूसिंह रावत	समन्वयक	9 वर्ष
6.	विजय सिंह रावत	परियोजना अधिकारी (NCLP)	7 वर्ष
7.	रणजीत जाट	परियोजना अधिकारी (DMP)	11 वर्ष
8.	अनिल कुमार कलोसिया	परियोजना अधिकारी (SMCS)	7 वर्ष
9.	राकेश दाधीच	क्षेत्र समन्वयक	2 वर्ष
10.	सीमा देवी	सहायिका	2 वर्ष
11.	कैलाश चन्द्र	प्रधानाध्यापक, मुहामी	6 वर्ष
12.	महावीर सिंह रावत	प्रधानाध्यापक, नौलखा	6 वर्ष
13.	मोहनलाल	प्रधानाध्यापक, किशनगढ़	6 वर्ष
14.	महावीर सिंह	प्रधानाध्यापक, गेगल	6 वर्ष
15.	रणजीत सिंह	अध्यापक (NCLP)	6 वर्ष
16.	महावीर खटीक	अध्यापक (NCLP)	6 वर्ष
17.	सुरेश चन्द राठी	अध्यापक (NCLP)	6 वर्ष
18.	राधेश्याम मेघवंशी	अध्यापक (NCLP)	5 वर्ष
19.	नीरा सिंह	अध्यापक (NCLP)	9 वर्ष
20.	ज्ञान सिंह रावत	अध्यापक (NCLP)	10 वर्ष
21.	गौरीनन्दन देतवाल	व्यावसायिक अध्यापक	6 वर्ष
22.	हेमलता अपूर्वा	व्यावसायिक अध्यापक	7 वर्ष
23.	संजू रावत	व्यावसायिक अध्यापक	6 वर्ष
24.	घनश्याम सदावत	व्यावसायिक अध्यापक	6 वर्ष
25.	कमला देवी	विद्यालय सहायिका	9 वर्ष
26.	मुन्नी देवी रावत	विद्यालय सहायिका	9 वर्ष
27.	रुकमा देवी	विद्यालय सहायिका	6 वर्ष
28.	रामेश्वरी देवी मेघवंशी	विद्यालय सहायिका	5 वर्ष
29.	मैना देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
30.	निर्मला देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
31.	सीमा देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
32.	गीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
33.	पारसी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
34.	सीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
35.	ऊमी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7 वर्ष
36.	प्यारेलाल खींची	सहजकर्ता (RRP)	4 वर्ष
37.	कृष्ण गोपाल सेन	सहजकर्ता (RRP)	3 वर्ष
38.	गोपाल लाल कीर	सहजकर्ता (RRP)	3 वर्ष
39.	रामेश्वर प्रसाद गुर्जर	सहजकर्ता (RRP)	3 वर्ष
40.	श्रीमती रेखा त्रिपाठी	कार्यकर्त्ता	3 वर्ष

विकास की कतिपय झलकियाँ

पुस्तकालय कार्यक्रम में बच्चों को बाल चलचित्र दिखाते हुए।

आर. सी. एच. कार्यक्रम में महिलाओं का हेल्थ कार्ड तैयार करते हुए।

संस्था द्वारा बाल मेले में बच्चों को पुरस्कार देते हुए।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय, जयपुर अनुसूचित जाति एवं जन जाति की महिला श्रमिकों को प्रशिक्षण देते हुए।

विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय महामी के बच्चों द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध रैली का आयोजन।

आर. सी. एच. परियोजना में हैल्थ कैम्प का आयोजन।

प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह दांता के दुकान के शुभारम्भ पर श्री एम. टी. वाघवानी (एल.डी.एम.) बैंक ऑफ बड़ौदा।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय राताकोट के बच्चों की खेल गतिविधि।

GMVS

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

मुख्य कार्यालय
पटाखा फैक्ट्री के पास, राजा रेडी
मदनगंज–किशनगढ़ – 305 801
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन – +91–1463–245642
ई–मेल– bubanigmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.org.in

पंजीयन कार्यालय
मु. पो. बूबानी
वाया–गगवाना – 305 203
ज़िला–अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन – +91–1463–516005
ई–मेल– gmvsajmer@gmail.com

मुद्रक : प्रगति प्रिन्टर्स, अजमेर. फोन : 2421887